

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्ट्रेशन नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/100/2021	2021/00256	17/08/2021	03.09.2021

1- STATE BANK OF INDIA, SARB-1, NAJAFGARH ROAD 1ST FLOOR, MOTI NAGAR DELHI-110015

प्रार्थी

बनाम

- 1- M/S NETSYS TECHNOLOGIES, 1ST FLOOR, AKD TOWER, SEC-14, GURGAON, HARYANA-122001
- 2- SH. JASJIT SINGH JOLLY S/o Sh. ARVINDER SINGH JOLLY H.NO902, 9TH FLOOR, MALIBU TOWN, SEC-47, GURGAON, HARYANA-122018
- 3- SMT. SIMAR JOLLY W/o Sh. JASJIT SINGH JOLLY H.NO.902, 9TH FLOOR, MALIBU TOWN, SEC-47, GURGAON, HARYANA-122018
- 4- SMT. HARVINDER JOLLY W/o Sh. ARVINDER SINGH JOLLY C-1812, SUSHANT LOK-1, GURGAON, HARYANA-122009

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 6,00,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 06.09.2020 को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 30.11.2020 को ब्याज सहित 6,78,01,802.71/-रूपये है, तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति (1) Flat No. 811, Tower-7, 8th Floor in Royal Court Situated At Village Pepli Tehsil Behror, Neemrana, District Alwar Rajasthan In The Name Of Mr. Jasjit Singh Jolly Area Measuring 650 Sq.Ft. (2) Flat Bearing No. 604, Tower Lotus, 6th Floor, Village Thanda & Tatarpur, Tehsil Tijara, Rajasthan In The Name Of Mr. Jasjit Singh Jolly and Mrs. Harvinder Jolly Area Measuring 965 Sq.Ft. को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त (1) Flat No. 811, Tower-7, 8th Floor in Royal Court Situated At Village Pepli Tehsil Behror, Neemrana, District Alwar Rajasthan In The Name Of Mr. Jasjit Singh Jolly Area Measuring 650 Sq.Ft. (2) Flat Bearing No. 604, Tower Lotus, 6th Floor, Village Thanda & Tatarpur, Tehsil Tijara, Rajasthan In The Name Of Mr. Jasjit Singh Jolly and Mrs. Harvinder Jolly Area Measuring 965 Sq.Ft. को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।




प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर एवं तहसील तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर एवं जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर